[2020] 13 एस. सी. आर 566

निमय साह

बनाम

झारखंड राज्य

आपराधिक अपील संख्या 211/2011

02 दिसंबर, 2020

[न्यायाधिपति एन. वी. रमना और न्यायाधिपति सूर्या कांत]

दंड संहिता, 1860 - धारा 498 ए आर/डब्ल्यू धारा 34 - दहेज हत्या का आरोप -

अपीलकर्ता-अभियुक्त (मृतका के पति का बड़ा भाई) को पति और ससुर के साथ दोषी ठहराया गया - अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, आयोजित: अस्पष्ट आरोपों के अलावा, शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण किसी द्वारा इंगित नहीं किया गया था गवाहों की -धारा 498-ए की सामग्री अपीलकर्ता के खिलाफ साबित नहीं हुई -अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हो गया। 1.1 गवाहों की गवाही के अवलोकन पर, यह पाया गया कि पीडब्लू10 ने अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम बताया है कि वह 10,000 रुपये की दहेज

की मांग के लिए मृतक को परेशान कर रहा था, हालांकि, उसके बयान में, अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम भी उसी में है। अन्य आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ सांस लें। इस गवाह के अलावा पीडब्लू7, पीडब्लू8 और पीडब्लू9 ने विशेष रूप से अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम लिए बिना गवाही दी कि मृतक को उसके वैवाहिक घर में परेशान किया जा रहा था। इन अस्पष्ट आरोपों के अलावा, इनमें से किसी भी गवाह द्वारा शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, मृतिका के भाई पी.डब्लू.7 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मृतिका उसे अपने वैवाहिक स्थान से पत्र लिखती थी, और किसी भी पत्र में दहेज की मांग के कारण किसी भी उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है। अन्य सभी स्वतंत्र गवाह मुकर गए और अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। वास्तव में, यहां तक कि पीडब्लू 2, जो मृतक का चाचा है और एफआईआर में नामित गवाह है, ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है।इस प्रकार, गवाहों की मौखिक गवाही पर विचार करने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए की सामग्री को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आरोप के लिए। अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा

जा सकता। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2010 को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता-अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.09.2010 द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया था। उनके जमानत बांड खारिज किये जाते हैं। [पैरा 13-17][569-जी-एच; 570-ए-ई]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 211/2011

[आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 176/2001 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2010 से]

ब्रज किशोर मिश्रा, विनोद कुमार, अभिषेक यादव, सुश्री अपर्णा झा, राजीव शंकर द्विवेदी, मनोज कुमार, आनंदो मुखर्जी, कृष्णानंद पांडे, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति एन. वी. रमना

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 2001 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 176 में पारित दिनांक 11.02.2010 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है।

पाकुड़ सेशन ट्रायल केस संख्या 235/1998 में; 45/1998 दिनांक 09.05.2001 और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ धारा 34 आईपीसी के साथ पठित धारा 498-ए के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा।

2. वर्तमान अपील आरोपी नंबर 3 निमय साह से संबंधित है, जो मृतिका के पति गोरा साह, आरोपी नंबर 1 का बड़ा भाई है। वर्तमान अपीलकर्ता-अभियुक्त को आरोपी नंबर 1 गोरा साह, मृतक के पति और आरोपी के साथ सजा का सामना करना पड़ा है। नंबर 2 निताई साह मृतक के ससुर हैं।

3. मृतक आशा कुमारी की शादी आरोपी नंबर 1 गोरा साह से हुई थी और वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। अभियोजन की कहानी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) की दहेज की मांग के लिए उसे परेशान किया गया था। यह मांग मूल रूप से उसके पिता, देवेन्द्र साह (पीडब्लू10) से की गई थी शिकायतकर्ता, उसकी विदाई समारोह के समय। उत्पीड़न की उसकी शिकायतों के कारण, उसके पिता, देवेन्द्र साह (पी.डब्ल्यू.10), उसके ससुराल वालों को समझाने के लिए उसके वैवाहिक घर गए और उन्हें उक्त राशि के भुगतान का आश्वासन दिया। अंततः जब उत्पीड़न नहीं रुका, तो शिकायतकर्ता ने अपने बेटे, मुन्ना साह (पी.डब्लू.8) को मृतक के वैवाहिक घर भेजा, जो उसे उसके माता-पिता के घर वापस ले आया।

4. अभियुक्त क्रमांक 1, मृतिका का पति गोरा साह, दिनांक 18.02.1998 को मृतिका के मायके गया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 20.02.1998 को, वह मृतक को सुबह की सैर के लिए ले गया। एक घंटे के बाद अकेले वापस आने पर, उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और जाने के लिए। जब उससे मृतक के ठिकाने के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि मृतक प्रकृति की मदद ले रहा था और जल्द ही वापस आ जाएगा। उसके बाद वह चला गया। जब मृतिका एक घंटे के बाद वापस नहीं लौटी, तो शिकायतकर्ता ने उसकी तलाश शुरू कर दी और अंततः वह नहर के पास मृत पाई गई और उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 304-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-ए और आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 304-बी के तहत आरोप लगाए गए। आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयानों में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सभी सबूतों से इनकार किया, झूठे निहितार्थ का दावा किया। और खुद को निर्दोष बताया

6. अभियोजन पक्ष के कथन पर भरोसा करते हुए, निचली विचारण न्यायालय ने 09.05.2001 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को निम्नानुसार दोषी ठहरायाः

आरोपी	आरोप	सजा
1 गोरा साह [ए-1]	धारा304-बी/34 आईपी सी धारा498-ए/34 आईपी सी	10 साल का कठोर कारावास 3 साल का कठोर कारावास
2 नितई साह[ए-2]	धारा 498-ए/34 आईपी सी	3 साल का कठोर कारावास
3 निमय साह [ए-3]	आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोपो से बारी कर दिया गया	

7. दोषसिद्धि और सजा के उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील की।साक्ष्य के विश्लेषण पर उच्च न्यायालय ने इसे सुसंगत और पुष्टिकारक पाया, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के साथ-साथ विवादित आदेश के माध्यम से सजा की पुष्टि हुई।

8. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित, जिसमें सभी अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है, अभियुक्त नं.3, मृतक के पति के भाई निमय साह ने यह अपील की है।

9. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष की कहानी में अस्पष्ट आरोप शामिल हैं, जो सबूतों द्वारा अप्रमाणित हैं।अभियुक्त का पूरा परिवार संख्या 1, मृतक के पति गोरा साह को इस मामले में शामिल किया गया है। अतः, अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने समवर्ती दोषसिद्धि के तथ्य पर जोर दिया और तर्क दिया कि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

11. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

12. अभियोजन की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता-अभियुक्त की भूमिका रुपये की दहेज की मांग तक सीमित है। विदाई समारोह के समय 10,000/- रुपये, और बाद में भुगतान न करने पर उत्पीड़न। उच्च न्यायालय ने श्याम सुंदर साह (पी.डब्ल्यू.7), मुन्ना साह (पी.डब्ल्यू.8), चंपा देवी

(पी.डब्ल्यू.9) की गवाही पर भरोसा किया है।) और देवेन्द्र साह (पी.डब्लू.10) को दहेज के लिए उत्पीड़न के तथ्य को बरकरार रखा।

13. गवाहों की गवाही पर गौर करने पर, हम पाते हैं कि, देवेन्द्र साह (पी.डब्ल्यू.10) ने अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम बताया है कि वह दहेज में रुपये की मांग के लिए मृतक को परेशान कर रहा था। 10,000/-. तथापि, उसके बयान में, अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम एक ही सांस में लिया गया है अन्य आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ। इस गवाह के अलावा, श्याम सुंदर साह (पी.डब्लू.7), मुन्ना साह (पी.डब्लू.8) और चंपा देवी (पी.डब्लू.9) ने विशेष रूप से अपीलकर्ता अभियुक्त निमाय साह का नाम लिए बिना गवाही दी कि मृतक को उसके वैवाहिक घर में परेशान किया जा रहा था।

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन अस्पष्ट आरोपों के अलावा, इनमें से किसी भी गवाह द्वारा शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांगों का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है।इसके अलावा, मृतक के भाई श्याम सुंदर साह (पी. डब्ल्यू. 7) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि मृतक उसे अपने वैवाहिक स्थान से पत्र लिखते थे, और किसी भी पत्र में दहेज की मांग के कारण किसी भी उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है।

15. अन्य सभी स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है।वास्तव में पंचानन साह (पी. डब्ल्यू. 2), जो मृतक के

चाचा हैं और एफ. आई. आर. में नामित एक गवाह हैं, ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

16. इस प्रकार, गवाहों की मौखिक गवाही पर विचार करने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तत्व उचित संदेह से परे के मानक पर साबित नहीं हुए हैं।ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी-अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत आरोप के लिए दोषी ठहराने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं है।

17. उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (एस. जे.) में पारित 11.02.2010 का निर्णय और आदेश। 2001 का सं. 176 इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है और अपीलार्थी-अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।दिनांक 17.09.2010 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को जमानत पर बढ़ा दिया था।उनके जमानत बांड जारी कर दिए गए हैं।

18. तदनुसार अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्य पांडे अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।